पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामिया पशु तस्कर गिरफ्तार

पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है

कार्रवाई

मल्हीपुर। संवाददाता। मुठभेड़ में पुलिस ने पशु तस्कर को गिरफ्तार किया। बदमाश पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इकौना थाना क्षेत्र के दीनानाथगढ़ निवासी दादे पुत्र रमजान पशु तस्करी का काम करता है। जिसके विरुद्ध थाने में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। तीन माह पूर्व मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ऐंटा टिकुइया के पास पशु तस्करों व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी दादे फरार होने में सफल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। सोमवार की रात मल्हीपुर थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र के भिनगा मल्हीपुर मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ माह पूर्व पुलिस

रात में पुलिस की गिरफ्त में बदमाश को अस्पताल ले जाती पुलिस

पर हमला कर फरार इनाम घोषित अपराधी दादे मल्हीपुर भिनगा मार्ग पर आ रहा है। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल आती दिखाई पड़ी। पास आने पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया। ऐसे में बाइक पर सवार दादे मुख्य मार्ग छोड़ कर ग्राम ऐंठा को जाने वाली सड़क की तरफ भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया। जिसमें पुलिस जवान बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार ने आत्मरक्षा में एक राउण्ड फायर किया। जिसमें गोली बदमाश के बाएं पैर में लगी। जिससे वह घायल होकर गिर गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बाइक, तमंचा 315 बोर व कारतूस बरामद कर जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध श्रावस्ती के साथ ही बहराइच जनपद के अलग अलग थानों में संगीन अपराध में कुल सात मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक के साथ जमुनहा चौकी प्रभारी जितेन्द्र राय, उपनिरीक्षक रियाज अंसारी, मुख्य आरक्षी श्रीराम कुशवाहा, आरक्षी अभयकान्त सिंह, आशीष कुमार, विपिन नायक आदि शामिल रहे।

20 लीटर कच्ची शराब संग एक गिरफ्तार

श्रावस्ती। पुलिस ने कच्ची शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सोमवार शाम को थाना कोतवाली भिनगा की पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद किया। बरामद शराब को जब्त कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मुरली चौधरी पुत्र रामजग्गू निवासी पटखिया राजा कोतवाली भिनगा के रूप में हुई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया।

मुठभेड़ में दबोचा गया फरार इनामी पशु तस्कर

संसू, श्रावस्ती : मल्हीपुर पुलिस टीम ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुठभेड़ में छह माह से फरार चल रहे 25 हजार के इनामी पशु तस्कर को दबोच लिया है। तलाशी में उसके कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस व कारतूस का खोखा बरामद किया गया।

एसपी प्राची सिंह ने बताया कि मल्हीपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार टीम के साथ भिनगा-मल्हीपुर मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति, वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि कुछ माह पूर्व पुलिस पर हमला कर फरार अपराधी मल्हीपुर-भिनगा मार्ग की ओर आ रहा है। इसी दौरान एक बाइक आती दिखी। पुलिस की ओर से रुकने का इशारा करने पर बाइक चालक ऐंठा गांव को जाने वाली सड़क की ओर भागने लगा। पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया, लेकिन पुलिस टीम बाल-बाल बच गई। प्रभारी निरीक्षक ने टीम के साथ घेराबंदी कर अपने सरकारी रिवाल्वर से आत्मरक्षा के लिए एक राउंड फायर किया। इसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। वह जमीन पर गिर गया।

घायल बदमाश से पूछताछ में उसने अपना नाम दादे, निवासी दिनामगढ़, थाना इकौना बताया। आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध श्रावस्ती व बहराइच जिले के थानों में विभिन्न धाराओं में सात मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक के अलावा धर्मेंद्र कुमार, जमुनहा पुलिस चौकी प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र राय, उपनिरीक्षक रियाज अंसारी, मुख्य आरक्षी श्रीराम कुशवाहा, आरक्षी अभयकांत सिंह, आशीष कुमार, विपिन नायक, दुर्गेश कुमार, विजय यादव व आफताब अहमद शामिल रहे।

मल्हीपुर पुलिस हिरासत में मुठभेड़ में घायल पशु तस्कर • जागरण

छेड़छाड़ के दोषी को डेढ़ वर्ष का कठोर कारावास

जासं, श्रावस्ती : किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने बताया कि 17 जुलाई 2010 को गिलौला क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की किशोरी के घर भाटनपुरवा निवासी पिंकेश चप्पल सिलवाने के बहाने पहुंचा। किशोरी को अकेला देख उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध गिलौला थाने में दलित उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश उमेश कुमार ने दोषी को डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।